क्वीयर हिन्दुस्तानियों , समर्थकों और सहयोगियों की ओर से एक पत्र–

प्रिय पाठक,

कोर्ट मौलिक अधिकार नहीं देता हैं, लेकिन सभी के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना कोर्ट का काम है।भारत के संविधान ने हमें सम्मान, आजादी और समानता के साथ जीने का अधिकार दिया है, लेकिन एक कानून इसके आरे आ रहा है। यह कानून भारत के नागरिकों खासकर लेस्बियन, गे, बाईसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर हिन्दुस्तानियों को उनका अधिकार पाने से रोक रहा है।

2009 के दिल्ली हाइकोर्ट के नाज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस की सुनवाई के दौरान फैसला दिया कि धारा 377 वयस्क लोगो की सहमति से किये सेक्स पर लागू नहीं होता। इस फैसले में इस बात पर विचार किया गया कि किस तरह इस कानून ने हमें अपनी यौनिकता जाहिर करने के लिए अपराधी बना दिया क्योंकि इस धारा 377 और समाज के ज्यदातर लोगों के अनुसार यह 'प्रकति के खिलाफ है' । आखिरकार इस फैसले के बाद हमें न्याय मिला और LGBT होना अपराध की श्रेणी से बाहर आया। हाई कोर्ट ने इस कानून के दायरे को सिमित कर दिया और हमें आजादी दी।

पर यह आजादी कुछ दिनों की रही और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 दिसंबर 2013 के फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि समाज के कुछ लोग ही 377 से प्रभावित हुए हैं। यह भी कहा की दिल्ली हाई कोर्ट इन 'तथाकथित अधिकारों' को बचाने के लिए ज्यादा ही उत्सुकता दिखाई।

अब मंगलवार 2 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट दिसंबर 2013 फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव पेटिशन पर सुनवाई करेगा। पाँच जजो का पैनल फैसला देगा कि इस केस को आगे सुना जाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही क्वीयर सदस्य, एल.जी.बी.टी. बच्चों के पेरेंट्स, मानसिक स्वस्थ्य पेशेवर, शिक्षा जगत के लोगों, फिल्म निर्माता,और क्वीयर समुदाय को सपोर्ट करने वाले लाखों भारतियों एवं याचिकर्ताओं को उम्मीद रहेगी कि इस गलत फैसले को बदला जाये।

क्यूरेटिव पेटिशन की जरुरत क्यों?

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट को बताया कि किस तरह राज्य और पुलिस 377 का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को परेशान कर रहे हैं और उनकी जिन्दगी और शरीर पर सितम ढा रहे हैं। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि "सेक्शन 377 किसी खास व्यक्ति, समुदाय को अपराधी नहीं घोषित कर रहा है। यह सिर्फ कुछ व्यवहार अपराध की श्रेणी में लाता है। यह बंदिशें बिना लिंग, पहचान और समुदाय के भेदभाव के सेक्सुअल कंडक्ट को सिमित करती है"।

आप एक अधिनियम को एक व्यक्ति से अलग करके नहीं देख सकते हैं। अगर आप किसी कानून को उसके पीछे छिपी मानसिकता और धारणाओं को बिना जाने हुए लागू करते हैं तो आप उस व्यक्ति के साथ हिंसा कर रहे हैं जो इस तरह के अधिनियम में शामिल है।

यौन अभिव्यक्ति एक व्यक्ति के पहचान का खास हिस्सा है। ऐसे में अगर वयस्क लोगो के बीच बंद कमरे में सहमति से किया गया कोई खास यौनिक व्यवहार अगर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा सकता है तो यह एक तरह की तानाशाही है। और साथ ही यह एक खास पहचान रखने वाले लोगों को अपराधी घोषित करता है।

हमारी कानूनी लड़ाई को दस साल हो गए हैं। हमें आज तक इस सोच से शक्ति मिलती रही है कि हम सही हैं। हमारी अपने अधिकार के लिए मांगे उन लाखों लोगों के आवाज का हिस्सा है जो बिखरे

हुए हैं लेकिन चाहते हैं कि राज्य और कानून व्यवस्था उनके साथ न्याय करे। विक्टर ह्यूगो ने कहा था कि श्कोई उस विचार को नहीं रोक सकता जिसका समय आ गया हैश। ऐसे में बिना जाति, क्लास, छेत्र, भाषा के भेदभाव के बिना लिंग और सेक्सुअल समानता के विचार का समय आ गया है!

हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस फैसले के खिलाफ आवाज उठायें जो हमें अपनी आजादी, सम्मान, और समानता से दूर कर रही है। भारत को और अधिक समान बनाने के लिए हमारे साथ आईये।

अधिक जानकारी के लिये संपर्क करें

- दिल्ली: मोहनीश मल्होत्रा 9891228951, मानक 9560100255
- मुम्बई: पल्लव पाटणकर 9619012251, लेस्ली एस्तेवेज 9810297743, सौरभ saurabhusbondre@gmail.com
- कोल्कता: सौविक सेन 9830556327, पवन ढाल 9831288023, अभिनव दत्त avinabadutta@gmail.com, सिविलियन वेलफेयर फॉउन्डेशन info@cwforg.com
- चेन्नई: सिवकुमार 9840699776 (तमिल), शंकरी 95518 37719 (तामिल), सुजित सुंदरम 9884456460(तामिल), मौली 9176641289, विक्रम 9245125290
- गौहाटी: अभिषेक 9706041391, मीनाक्षी 9864220806, संजीब 8011017650
- इम्फाल: nupimanbi@gmail.com, संता खुरई 08415925251 santakhurai888@gmail.com; पवेल 09862906147